न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी — मुनिदेव यादव (RAS)

प्रकरण संख्या - 20/20 — दायर दिनांक 5.10.20

राजवीर पुत्र पदम जाति जाट निवासी सलेमपुर कलाँ तहसील भुसावर जिला भरतपुर राज०
------ प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर (भरतपुर)
---- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता :- श्री महेशचन्द मीना

निर्णय दिनांक :- 17.02.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ० ख० नं० 1121 रकबा 0.1800, 1125 रकबा 0.1000, 1126 रकबा 0.0900, 1128 रकबा 0.1700, 1131 रकबा 0.1100, 1132 रकबा 0.0900, 1133 रकबा 0.1000, 1134 रकबा 0.0900. किता 8 कुल रकबा 0.9300 हैक्टर वाके ग्राम सलेमपुर कलाँ तहसील भुसावर में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है।

उपरोक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है जिसका विरासत का दाखिला खारिज दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से प्रार्थी का नाम राजवीर के स्थान रामवीर गलत दर्ज हो गया। जिससे प्रार्थी अपनी पैत्रिक खातेदारी की आराजी पर राज० सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायताओं व कृषि सुधार ऋणों से भी महरूम रहना पड़ता है जबकि रामवीर पुत्र पदम नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम सलेमपुर कलाँ में निवास नहीं करता है और ना ही इस नाम का कोई व्यक्ति है। उक्त नाम प्रार्थी का ही है। तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक दस्तावेजातों में एवं बैंक खातों आदि में राजवीर पुत्र पदम नाम दर्ज है। जो सही है।

लगातार - 2

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज रामवीर पुत्र पदम के स्थान पर राजवीर पुत्र पदम दर्ज किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा की गई।

प्रा० पत्र के सम्बन्ध में शपथ-पत्र प्रार्थी एवं राजवीर व उसके भाई मानसिंह पुत्र पदम का प्राप्त होने पर शा० मिसिल किया गया, तथा पैरोकार सरकार तहसीलदार भुसावर को प्रार्थी के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट बाबत लिखा गया।

मुताबिक शपथ पत्र प्रार्थी एवं उसके भाई मानसिंह ने अवगत कराया कि विवादित आराजी में राजवीर 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। तथा शपथ-पत्र द्वारा अवगत कराया है कि उपरोक्त आराजी प्रार्थी की पैत्रिक आराजी है जिसका विरासत दाखिला दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों ने सहवन गलती से प्रार्थी का नाम राजवीर के स्थान पर रामवीर गलत दर्ज राजस्व रिकार्ड में अंकन हो गया। जबकि रामवीर पुत्र पदम नाम का कोई भी व्यक्ति ग्राम सलेमपुर कलाँ में निवास नहीं करता है, और ना ही इस नाम का व्यक्ति है तथा प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात जैसे राशन-कार्ड, आधार कार्ड, शैक्षिक दस्तावेज बैंक खातों कार्ड में नाम राजवीर पुत्र पदम दर्ज है, जो सही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी एवं मानसिंह द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्रों तथा प्रस्तुत दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन-कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र आदि का अवलोकन किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट जो सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई में अवगत कराया गया है कि रामवीर पुत्र पदम नाम का व्यक्ति नहीं होकर सही नाम राजवीर पुत्र पदम जानकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

लगातार-3

Scanned by TapScanner

अत: पत्रावली के अवलोकन तथा इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकार्ड एवं प्रस्तुत पटवारी हल्का रिपोर्ट से हम सहमत है इनके आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार करना उचित समझते है।

प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार कर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आ०ख०नं० 1121 रकबा 0.1800, 1125 रकबा 0.1000, 1126 रकबा 0.0900, 1128 रकबा 0.1700, 1131 रकबा 0.1100, 1132 रकबा 0.0900, 1133 रकबा 0.1000, 1134 रकबा 0.0900 वाके ग्राम सलेमपुर कलां तहसील भुसावर प्रार्थी के हिस्सा 1/3 में प्रार्थी का नाम रामवीर पुत्र पदम के स्थान पर सही नाम राजवीर पुत्र पदम दुरूस्त कर अंकन किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

मुनिदेव यादव
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

Scanned by TapScanner